

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 3307 / एफ-1-128 / 31 / एस-2 / 2022,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 10 / 8 / 2023

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- राजनांदगांव (वर्तमान खैरागढ़-छुईखदान-गंडई) जिले के विकासखंड-छुईखदान की कोयलार नाला बांध के नहर मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-2221/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2022/8765, नवा रायपुर, दिनांक 28.09.2022.

—00—

राज्य शासन एतद्वारा राजनांदगांव (वर्तमान खैरागढ़-छुईखदान-गंडई) जिले के विकासखंड-छुईखदान की कोयलार नाला बांध के नहर मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 192.55 लाख (रुपये एक करोड़ बियानवे लाख पचपन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई 161.94 हेक्टेयर में 61.94 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 40.03 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 201.97 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं #97 निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 19.06.2023 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुसंग पाण्डेय)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

...2...

पृ.क्र. 3308 / एफ-1-128 / 31 / एस-2 / 2022,

अटल नगर, दिनांक 10 / 8 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मंडल दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



(Signature)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग